उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137,

वेबसाईट : www.uau.ac.in ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक : 3296/उ0आ0वि0/अधि0/2015–16 दिनांक : 06 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के परिसरों में आयुर्वेदिक कालेजों एवं चिकित्सालयों में विभिन्न नर्सिंग/तकनीकी/गैर शैक्षणिक संवर्गो के पदों को नियमित आधार पर भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 28.12.2016 की अपरान्ह 05:00 बजे तक मात्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पदनाम, पदों की संख्या निर्धारित नियम एवं शर्ते तथा आवेदन प्रारूप का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या : 3296 / उ0आ0वि0 / अधि0 / 2015–16
दिनांक : 06 दिसम्बर, 2016

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के मुख्य परिसर एवं हरिद्वार स्थित ऋषिकुल / गुरूकुल परिसरों के आयुर्वेदिक कालेजों एवं चिकित्सालयों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों की पूर्ति हेतु परिनियमों में विहित व्यवस्थानुसार कार्यपरिषद् द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में कॉलेज / चिकित्सालय में तकनीकी कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न संवर्गो में मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से **ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का आरक्षणानुसार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	उपचारिका (स्टाफ नर्स)*	9300-34800 (GP- 4200)	17	GEN-10, SC-05, ST-01, OBC-01
2	एक्सरे तकनीशियन	5200-20200 (GP- 2000)	01	GEN-01
3	पंचकर्म सहायक	5200-20200 (GP- 1900)	14	GEN-09, SC-03, OBC-02
4	डार्क रूम सहायक	5200-20200 (GP- 1900)	02	GEN-01, SC-01
5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	9300-34800 (GP- 4200)	01	GEN-01
6	पुस्तकालय सहायक / सूचीकार	5200-20200 (GP- 2000)	04	GEN-03, SC-01
7	सहायक लेखाकार	5200-20200 (GP- 2800)	03	GEN-02, SC-01
8	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200 (GP- 2800)	10	GEN-07, SC-02, OBC-01
9	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 (GP- 2000)	10	GEN-04, SC-04, OBC-02
		कुल पद	62	

नोट :– पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा निरस्त की जा सकती है, तद्नुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं / पूर्व सैनिकों / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों / कुशल खिलाड़ियों / राज्य आन्दोलनकारी / उनके पात्र आश्रितों / शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को **नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा**।

* उपरोक्त तालिका के क्रं.सं.–1 में उल्लिखित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं।

2— उक्त पदों हेतु न्यूनतम—अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :—

(1) स्टाफ नर्स :—

शैक्षिक अर्हता—

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचारिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(2) एक्स—रे तकनीशियन :—

शैक्षिक अर्हता—

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से एक्स—रे तकनीशियन का डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(3) पंचकर्म सहायक :—

शैक्षिक अर्हता—

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बाइलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) का एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(4) डार्क रूम सहायक :—

शैक्षिक अर्हता—

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग की परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से डार्क—रूम सहायक का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(5) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष :—

शैक्षिक अर्हता—

1. कला / विज्ञान / वाणिज्य में स्नातक उपाधि।
2. पुस्तालय विज्ञान में स्नातक उपाधि / समकक्ष योग्यता।
3. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पयूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा / समकक्ष योग्यता।

(6) पुस्तकालय सहायक / सूचीकार :—

शैक्षिक अर्हता—

1. कला / विज्ञान / वाणिज्य में स्नातक उपाधि।
2. पुस्तालय विज्ञान में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता।
3. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पयूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा / समकक्ष योग्यता।

(7) सहायक लेखाकार :—

शैक्षिक अर्हता :—

1. बी0काम0 या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकान्टेन्सी तथा कम्पयूटर पर 5000 की—डिप्रेशन की गति होना आवश्यक है।
2. देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।
3. संबंधित पद हेतु विश्वविद्यालय परिसर में कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा ली जायेगी। बिना टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये कोई भी अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
4. कम्पयूटर संचालन में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 'ओ' लेवल का सार्टीफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

(8) प्रयोगशाला सहायक :—

शैक्षिक अर्हता :—

1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद / उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग की परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. स्टेट मेडिकल फेकल्टी, उत्तराखण्ड या किसी संस्थान से डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र।

(9) कनिष्ठ सहायक :—

शैक्षिक अर्हता :—

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हों।

2. कम्प्यूटर टंकण(हिन्दी / अंग्रेजी) के लिये 4000 Key Depressions न्यूनतम गति निर्धारित होगी।
3. देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।
4. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पयूटर संचालन तथा ऑफिस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
5. संबंधित पद हेतु विश्वविद्यालय परिसर में कम्पयूटर पर टंकण परीक्षा ली जायेगी। बिना टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये कोई भी अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

3— अधिमानी अर्हता :— उपरोक्त समस्त पदों हेतु निम्नलिखित अधिमानी अर्हताएं होंगी :—

(1) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
(3) कम्पयूटर एवं अंग्रेजी / हिन्दी भाषा का शासकीय ज्ञान हो।

4— <u>सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :—</u> समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों हेतु आवेदन की निर्धारित अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। (शासनादेश संख्या —72 / XXX (2) / 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014) शासन के पत्रांक 809 / XXX(2) / 2010—3(1) / 2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवार्स कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

5— <u>वैवाहिक प्रस्थिति</u> — सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

6— <u>आरक्षण :—</u>

(1) ऊर्ध्व आरक्षण— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) क्षैतिज आरक्षण— उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय. समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i)''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन

दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii)''शारीरिक रूप से विकलांग'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो–(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणह्रास (तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

टिप्पणीः– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

(iii)''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोटः–

(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए 04%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

7– <u>शुल्क</u> :– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो <u>वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विष्वविद्यालय, देहरादून</u> के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, <u>यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा</u>। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

क0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 300/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 300/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 150/– मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0टी0)	रू0 150/– मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग (दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रू0 150/– मात्र

8– राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–
(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

9– चरित्र:– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

10– अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताओं के अंकों को जोड़ते हुये पदवार मेरिट तैयार किया जाएगा। समिति द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का दावा विश्वविद्यालय पर नहीं किया जा सकेगा। मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी, जिसका अवलोकन अभ्यर्थीगण कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यथाआवश्यकतानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जा सकती है।

11– उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2015 की धारा 43 में वर्णित व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दिनांक 08.01.2016 को सम्पन्न बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–16 के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया था कि मुख्य परिसर/अन्य परिसरों में भविष्य में मेरिट इन्डेक्स के आधार पर संविदा/ नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। तत्क्रम में नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट इन्डेक्स तैयार किया जाएगा :–

क्र.सं.	पदनाम	अधिकतम अंक	मेरिट सूची तैयार किये जाने हेतु संबंधित परीक्षावार प्राप्तांको के प्रतिशत का आधार
1	उपचारिका (स्टाफ नर्स)	100	हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
2	एक्सरे तकनीशियन	100	हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%

3	पंचकर्म सहायक	100	हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
4	डार्क रूम सहायक	100	हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	100	हाईस्कूल–20%, इण्टरमीडिएट–20%, स्नातक–20% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
6	पुस्तकालय सहायक / सूचीकार	100	हाईस्कूल–20%, इण्टरमीडिएट–20%, स्नातक–20% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
7	सहायक लेखाकार	100	हाईस्कूल–20%, इण्टरमीडिएट–20%, स्नातक–20% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
8	प्रयोगशाला सहायक	100	हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%
9	कनिष्ठ सहायक	100	हाईस्कूल–30%, इण्टरमीडिएट–30% एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक)–40%

- आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होगा। चयन के समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों में चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदित पदों में से किन पदों पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
- विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है।
- इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।

12– विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम मेरिट सूची (Provisional Merit List) सूचना पट्ट तथा वेबसाईट www.uau.ac.in पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूची प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर अभ्यर्थीगण किसी त्रुटि के संबंध में विश्वविद्यालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम मेरिट सूची (Final Merit List) निर्गत करते हुए अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक/ईमेल से नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे। परन्तु यह कि सहायक लेखाकार एवं कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन हेतु टंकण परीक्षा (हिन्दी व अंग्रेजी दोनो में आयोजित की जायेगी) में न्यूनतम निर्धारित गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को टंकरण परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। टंकण परीक्षा में असफल रहने की दशा में मेरिट के अनुसार अगले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा टंकण परीक्षा में सफल रहने की दशा में मेरिट के अनुसार ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। चयन समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

13– अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात डाउनलोड कर अपना प्रिंट आउट (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं

समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वःप्रमाणित प्रतियों सहित) कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला परिसर, देहरादून के नाम मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 28.12.2016 की अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेगें। उक्तानुसार निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14– आयु की गणना – आयु की गणना पद के अनुसार 01 जनवरी, 2017 को न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 42 वर्ष से अधिक न हो।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा निःशक्त व्यक्तियों को समूह ''ग'' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट अनुमन्य है।

15– योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16– एक अभ्यर्थी मात्र एक श्रेणी के पद के लिये आवेदन कर सकता हैं। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

17– इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून।

APPLICATION FORM

Affix self-attested passport size passport photograph here

1.	Applied for the Post	:	
2.	Candidate's Name	:	
3.	Father's Name	:	
4.	Mother's Name	:	
5.	Date of Birth	:	
6.	Gender	:	
7.	Domicile of Uttarakhand	:	
8.	Nationality	:	
9.	Category	:	
10.	Sub-Category	:	
11.	Mobile Number	:	
12.	Email ID	:	
13.	Correspondence Address	:	
	District	:	
	Pin Number	:	
14.	Employment Office Details in Uttarakhand		
	Name of Employment Office	:	
	Registration Number	:	
	Date of Registration	:	
	Valid Upto	:	
15.	Educational/technical qualifications		

Name of examination	Year	Name of Board/ University	Marks Obt.	Max Marks	Percentage	Subjects
High School						
Intermediate						
Graduation/ Professional						

16.	Details about Territorial army service / NCC		
	Territorial Army (Min 2 years of service (Yes/No)	:	
	NCC (B Certificate) (Yes/No)	:	
17.	Registration No. in Bhartiya Chikitsa Parisad, Uttarakhand (if applicable)		
	Registration Number	:	
	Date of Registration	:	
	Valid Upto	:	

Sample

DECLARATION

I declare that the above information filled by me in application form is true to the best of my knowledge. I fullfil all the qualification for the applied post as per advertisement. If any information or documents submitted by me is found false I shall be responsible for this and University can take any legal action against me.

List of Enclosures : 1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

4. ……………………………..

5. ……………………………..

6. ……………………………..

No. of Enclosures : ……………………………..

Place : ………………………………………..……

Signature : ……………………………………………..…………………

Date : ……………………………………………….

Name of the Candidate : …………………………………